

कार्यालय उप निबंधक

प्रथम, द्वितीय व तृतीय
नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
की मूल्यांकन सूची वर्ष 2018
दिनांक 01.08.2018 से प्रभावी

मूल्यांकन सूची

उत्तर प्रदेश स्टाम्प(सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम-4 यथासंशोधित 2013 व 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित कार्यालय उपनिबंधक नोएडा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के क्षेत्राधिकार में स्थित समस्त सम्पत्तियों की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है। निर्धारित दरें दिनांक 01.08.2018 से लागू होंगी—

भाग-1

प्रारूप-1

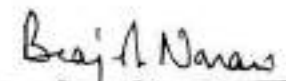
रजिस्ट्रीकरण कार्यालय नोएडा प्रथम, द्वितीय व तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर में नगरीय क्षेत्र का वर्गीकरण
(सैक्टर के क्रमांकानुसार व राजस्व ग्राम वर्णानुक्रम में)

क(1)—नगरीय क्षेत्र

नगरीय क्षेत्र का नाम—नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के समस्त सैक्टर				
क0सं0	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सोफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
1	1	तदैव	प्रथम	0001
2	2	तदैव	द्वितीय	0002
3	3	तदैव	तृतीय	0003


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

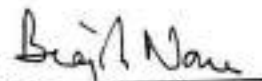

 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
4	4	तदैव	प्रथम	0004
5	5	तदैव	द्वितीय	0005
6	6	तदैव	तृतीय	0006
7	7	तदैव	प्रथम	0007
8	8	तदैव	द्वितीय	0008
9	9	तदैव	तृतीय	0009
10	10	तदैव	प्रथम	0010
11	11	तदैव	द्वितीय	0011
12	12	तदैव	तृतीय	0012
13	14	तदैव	प्रथम	0013
14	14A	तदैव	प्रथम	0014
15	15	तदैव	द्वितीय	0015
16	15A	तदैव	द्वितीय	0016
17	16	तदैव	तृतीय	0017


 सहायक महा निरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।


 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
18	16A	तदैव	तृतीय	0018
19	16B	तदैव	तृतीय	0019
20	17	तदैव	प्रथम	0020
21	18	तदैव	द्वितीय	0021
22	19	तदैव	तृतीय	0022
23	20	तदैव	प्रथम	0023
24	21	तदैव	द्वितीय	0024
25	22	तदैव	तृतीय	0025
26	23	तदैव	प्रथम	0026
27	24	तदैव	द्वितीय	0027
28	25	तदैव	तृतीय	0028
29	25A	तदैव	तृतीय	0029
30	26	तदैव	प्रथम	0030
31	27	तदैव	द्वितीय	0031
32	28	तदैव	तृतीय	0032


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

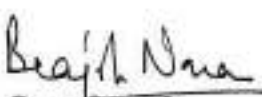

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति	उप निर्बंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
33	29	तदैव	प्रथम	0033
34	30	तदैव	द्वितीय	0034
35	31	तदैव	तृतीय	0035
36	32	तदैव	प्रथम	0036
37	33	तदैव	द्वितीय	0037
38	34	तदैव	तृतीय	0038
39	35	तदैव	प्रथम	0039
40	36	तदैव	द्वितीय	0040
41	37	तदैव	तृतीय	0041
42	38	तदैव	प्रथम	0042
43	38A	तदैव	प्रथम	0043
44	39	तदैव	द्वितीय	0044
45	40	तदैव	तृतीय	0045
46	41	तदैव	प्रथम	0046
47	42	तदैव	द्वितीय	0047
48	43	तदैव	तृतीय	0048
49	44	तदैव	प्रथम	0049


 सहायक महाप्रिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

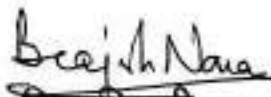

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

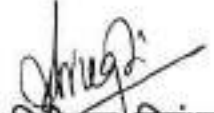
क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
50	45	तदैव	द्वितीय	0050
51	46	तदैव	तृतीय	0051
52	47	तदैव	प्रथम	0052
53	48	तदैव	द्वितीय	0053
54	49	तदैव	तृतीय	0054
55	50	तदैव	प्रथम	0055
56	51	तदैव	द्वितीय	0056
57	52	तदैव	तृतीय	0057
58	53	तदैव	प्रथम	0058
59	54	तदैव	द्वितीय	0059
60	55	तदैव	तृतीय	0060
61	56	तदैव	प्रथम	0061
62	57	तदैव	द्वितीय	0062
63	58	तदैव	तृतीय	0063
64	59	तदैव	प्रथम	0064
65	60	तदैव	द्वितीय	0065
66	61	तदैव	तृतीय	0066


 सहायक निरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

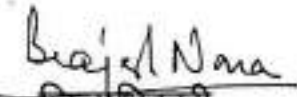

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

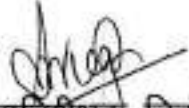
क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
67	62	तदैव	प्रथम	0067
68	63	तदैव	द्वितीय	0068
69	63A	तदैव	द्वितीय	0069
70	64	तदैव	तृतीय	0070
71	65	तदैव	प्रथम	0071
72	66	तदैव	द्वितीय	0072
73	67	तदैव	तृतीय	0073
74	68	तदैव	प्रथम	0074
75	69	तदैव	द्वितीय	0075
76	70	तदैव	तृतीय	0076
77	71	तदैव	प्रथम	0077
78	72	तदैव	द्वितीय	0078
79	73	तदैव	तृतीय	0079
80	74	तदैव	प्रथम	0080
81	75	तदैव	द्वितीय	0081
82	76	तदैव	तृतीय	0082


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

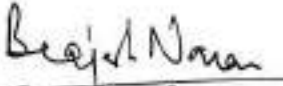

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
83	77	तदैव	प्रथम	0083
84	78	तदैव	द्वितीय	0084
85	79	तदैव	तृतीय	0085
86	80	तदैव	प्रथम	0086
87	81	तदैव	द्वितीय	0087
88	82	तदैव	तृतीय	0088
89	83	तदैव	प्रथम	0089
90	84	तदैव	द्वितीय	0090
91	85	तदैव	तृतीय	0091
92	86	तदैव	प्रथम	0092
93	87	तदैव	द्वितीय	0093
94	88	तदैव	तृतीय	0094
95	89	तदैव	प्रथम	0095
96	90	तदैव	द्वितीय	0096
97	91	तदैव	तृतीय	0097
98	92	तदैव	प्रथम	0098
99	93	तदैव	द्वितीय	0099


 सहायक महा निरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

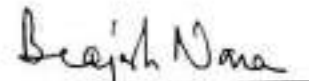

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सेक्टर का क्रमांक	सेक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सेक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
100	93A	तदैव	द्वितीय	0100
101	93B	तदैव	द्वितीय	0101
102	94	तदैव	तृतीय	0102
103	95	तदैव	प्रथम	0103
104	96	तदैव	द्वितीय	0104
105	97	तदैव	तृतीय	0105
106	98	तदैव	प्रथम	0106
107	99	तदैव	द्वितीय	0107
108	100	तदैव	तृतीय	0108
109	101	तदैव	प्रथम	0109
110	102	तदैव	द्वितीय	0110
111	103	तदैव	तृतीय	0111
112	104	तदैव	प्रथम	0112
113	105	तदैव	द्वितीय	0113
114	106	तदैव	तृतीय	0114
115	107	तदैव	प्रथम	0115
116	108	तदैव	द्वितीय	0116
117	109	तदैव	तृतीय	0117


 सहायक महा निरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

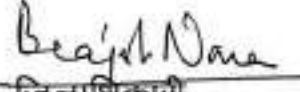

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क0स0	सैक्टर का कमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आंशिक किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
118	110	तदैव	प्रथम	0118
119	111	तदैव	द्वितीय	0119
120	112	तदैव	तृतीय	0120
121	113	तदैव	प्रथम	0121
122	114	तदैव	द्वितीय	0122
123	115	तदैव	तृतीय	0123
124	116	तदैव	प्रथम	0124
125	117	तदैव	द्वितीय	0125
126	118	तदैव	तृतीय	0126
127	119	तदैव	प्रथम	0127
128	120	तदैव	द्वितीय	0128
129	121	तदैव	तृतीय	0129
130	122	तदैव	प्रथम	0130
131	123	तदैव	द्वितीय	0131
132	124	तदैव	तृतीय	0132
133	125	तदैव	प्रथम	0133
134	126	तदैव	द्वितीय	0134


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

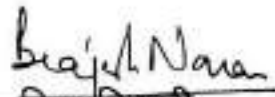

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सेक्टर का क्रमांक	सेक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सेक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
135	127	तदैव	तृतीय	0135
136	128	तदैव	प्रथम	0136
137	129	तदैव	द्वितीय	0137
138	130	तदैव	तृतीय	0138
139	131	तदैव	प्रथम	0139
140	132	तदैव	द्वितीय	0140
141	133	तदैव	तृतीय	0141
142	134	तदैव	प्रथम	0142
143	135	तदैव	द्वितीय	0143
144	136	तदैव	तृतीय	0144
145	137	तदैव	प्रथम	0145
146	138	तदैव	द्वितीय	0146
147	139	तदैव	तृतीय	0147
148	140	तदैव	प्रथम	0148
149	140A	तदैव	प्रथम	0149
150	141	तदैव	द्वितीय	0150
151	142	तदैव	तृतीय	0151


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

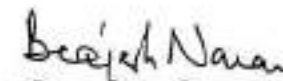

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणियों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
152	143	तदैव	प्रथम	0152
153	143 बी	तदैव	प्रथम	0153
154	144	तदैव	द्वितीय	0154
155	145	तदैव	तृतीय	0155
156	146	तदैव	प्रथम	0156
157	147	तदैव	द्वितीय	0157
158	148	तदैव	तृतीय	0158
159	149	तदैव	प्रथम	0159
160	150	तदैव	द्वितीय	0160
161	151	तदैव	तृतीय	0161
162	152	तदैव	प्रथम	0162
163	153	तदैव	द्वितीय	0163
164	154	तदैव	तृतीय	0164
165	155	तदैव	प्रथम	0165
166	156	तदैव	द्वितीय	0166
167	157	तदैव	तृतीय	0167
168	158	तदैव	प्रथम	0168


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

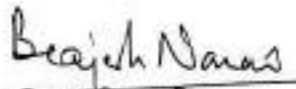

 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	सैक्टर का क्रमांक	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सोफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया बी-कोड
		प्राधिकरण सैक्टर सीमा अन्तर्गत समस्त श्रेणीयों की भूमि/सम्पत्ति	उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
169	159	तदैव	द्वितीय	0169
170	160	तदैव	तृतीय	0170
171	161	तदैव	प्रथम	0171
172	162	तदैव	द्वितीय	0172
173	163	तदैव	तृतीय	0173
174	164	तदैव	प्रथम	0174
175	165	तदैव	द्वितीय	0175
176	166	तदैव	तृतीय	0176
177	167	तदैव	प्रथम	0177
178	168	तदैव	द्वितीय	0178
179	फेस- II, ब्लॉक-ए, बी	तदैव	प्रथम	0179
180	फेस- II, ब्लॉक-सी, डी,	तदैव	द्वितीय	0180
181	NEPZ	तदैव	तृतीय	0181


 सहायक मंडल निरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

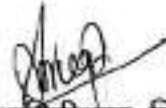

 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

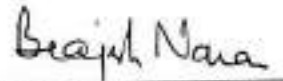
रजिस्ट्रीकरण कार्यालय नोएडा प्रथम, द्वितीय व तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर में विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत राजस्व ग्राम की वह सम्पत्तियाँ जो प्राधिकरण के अधिग्रहण से मुक्त है। (फ्री होल्ड)

क(2)-नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम

नगरीय क्षेत्र का नाम नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचना राजस्व ग्राम की वह सम्पत्तियाँ जो प्राधिकरण के अधिग्रहण से मुक्त है(फ्री होल्ड)				
क्र०सं०	राजस्व ग्राम का नाम	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आंशिक किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
		प्राधिकरण के सैक्टर सीमा अन्तर्गत से भिन्न सभी भूमि	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
1	अटटा	तदैव	द्वितीय	0182
2	असगरपुर जागीर	तदैव	तृतीय	0183
3	अलावर्दीपुर	तदैव	द्वितीय	0184
4	आगाहपुर	तदैव	तृतीय	0185
5	इलाबांस	तदैव	तृतीय	0186
6	ककराला ख्वासपुर	तदैव	द्वितीय	0187
7	गढी चौखण्डी	तदैव	तृतीय	0188
8	गेझा तिलपताबाद	तदैव	द्वितीय	0189


सहायक मन्त्री निरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।


अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

क्र०सं०	राजस्व ग्राम का नाम	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण के सैक्टर सीमा अन्तर्गत से निम्न सभी भूमि	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
9	गिझौड	तदैव	प्रथम	0190
10	चक सालारपुर	तदैव	प्रथम	0191
11	चोटपुर	तदैव	द्वितीय	0192
12	चौडा सादतपुर	तदैव	प्रथम	0193
13	चौडा रघुनाथपुर	तदैव	प्रथम	0194
14	छलेरा बांगर	तदैव	तृतीय	0195
15	छलेरा खादर	तदैव	द्वितीय	0196
16	छजारसी	तदैव	प्रथम	0197
17	झुण्डपुरा	तदैव	प्रथम	0198
18	नंगला चरणदास	तदैव	तृतीय	0199
19	नयाबांस	तदैव	द्वितीय	0200
20	निठारी-मोरना	तदैव	प्रथम	0201
21	नौरंगाबाद खादर	तदैव	द्वितीय	0202
22	परथला खंजरपुर	तदैव	प्रथम	0203
23	बसई ब्राउददीनपुर	तदैव	द्वितीय	0204
24	बहलोलपुर	तदैव	द्वितीय	0205
25	बरौला	तदैव	द्वितीय	0206
26	भूडा	तदैव	तृतीय	0207


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।


 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।

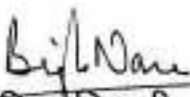

 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

क्र०स०	राजस्व ग्राम का नाम	सैक्टर का सीमा निर्धारण	वार्ड का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड
		प्राधिकरण के सैक्टर सीमा अन्तर्गत से भिन्न सभी भूमि	उप निबंधक कार्यालयों के श्रेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	
27	भंगेल बेगमपुर	तदैव	तृतीय	0208
28	मामूरा	तदैव	प्रथम	0209
29	मुबारिकपुर	तदैव	तृतीय	0210
30	मोहिउददीनपुर कनावनी	तदैव	—	ग्राम, जनपद गाजियाबाद में स्थानान्तरित
31	याकूबपुर	तदैव	तृतीय	0212
32	रसूलपुर नवादा	तदैव	प्रथम	0213
33	रायपुर खादर	तदैव	तृतीय	0214
34	सदरपुर	तदैव	द्वितीय	0215
35	सरफाबाद	तदैव	प्रथम	0216
36	सालारपुर खादर	तदैव	तृतीय	0217
37	सुल्तानपुर	तदैव	तृतीय	0218
38	सोरखा जाहिदाबाद	तदैव	प्रथम	0219
39	हजरतपुर वजिदपुर	तदैव	द्वितीय	0220
40	हरौला मक्खनपुर	तदैव	द्वितीय	0221
41	हाजीपुर	तदैव	तृतीय	0222
42	हैबतपुर	तदैव	द्वितीय	0223
43	होशियारपुर	तदैव	प्रथम	0224


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।

ख- अर्धनगरीय क्षेत्र-शून्य
 ग-ग्रामीण क्षेत्र-शून्य

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

भाग-2

प्रारूप-2

क(1) नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रीकरण कार्यालय नोएडा प्रथम, द्वितीय व तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर (नगरीय क्षेत्र) में सैक्टर कमांकानुसार
अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर बेसिक वेल्थू (न्यूनतम दरें) रुपये में

अकृषक भूमि, जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है, की दरें प्रति वर्ग मीटर में										
1	2	3	4							
सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड	सैक्टर का कमांक	वार्ड का नाम, उप निबंधक, कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	मुखण्ड आवासीय प्रयोजन, 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर (बेसिक वेल्थू)	वाणिज्यिक प्रयोजन, 10000 वर्ग मीटर से अधिक के मुखण्ड के लिए	औद्योगिक प्रयोजन 60000 वर्ग मीटर से अधिक के मुखण्ड के लिए	ग्रुप हाउसिंग मुखण्ड हेतु निर्धारित दर	प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्रयोजन हेतु आवंटित मुखण्ड की दरें संस्थागत श्रेणी के प्रयोजन के आधार पर			
							समस्त सैक्टरों के अन्तर्गत आउटएण्डगोडी/साफ्टवेयर/सर्विस फ्लिम आडियो वीडियो स्टूडियो/आईटीपार्क/आईटीआईएस/बायोटेक पार्क हेतु मुखण्ड	कार्बलव उपयोग का मुखण्ड	सरकारी/टेलीकोम सेंटर/वेस्ट आफिस/विद्युत सब स्टेशन, नोएडा द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर कार्य हाउस	अर्द्धसरकारी/डिस्ट्रिक्ट/पेन्सरी/सुपरमाज्जर/दुग्ध/सब्जी एवं फल वितरण केन्द्र
							E			
			A	B	C	D	I	II	III	IV
0001	1	प्रथम	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0002	2	द्वितीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0003	3	तृतीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0004	4	प्रथम	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0005	5	द्वितीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0006	6	तृतीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0007	7	प्रथम	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0008	8	द्वितीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0009	9	तृतीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0010	10	प्रथम	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0011	11	द्वितीय	52500	202000	34000	-	65000	78500	50000	50000
0012	12	तृतीय	52500	202000	-	-	65000	78500	50000	50000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

Beajh Nana
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

सॉफ्टवेयर में आवंटित क्रिया गया वी-कोड	सेक्टर का कॉर्मांक	बार्ड का नाम, उप निबंधक, कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	मुख्य आवासीय प्रयोजन, 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर (बेसिक बेल्ट)	वाणिज्यिक प्रयोजन, 10000 वर्ग मीटर से अधिक के मुख्य के लिए	औद्योगिक प्रयोजन 80000 वर्ग मीटर से अधिक के मुख्य के लिए	गुप्त हाउसिंग मुख्य हेतु निर्धारित दर	प्रतिकारण द्वारा संरक्षित प्रयोजन हेतु आवंटित मुख्य को वरिष्ठ संरक्षित क्षेत्रों के प्रयोजन के आधार पर समस्त सेक्टरों के अन्तर्गत आर०ए०ए०डी०/साफ्टवेयर/ सर्विस क्लिप आखियों वीरियों स्टूडियो/आईटी०पार्क/ आईटी०ई०एस०/बायोटेक पार्क हेतु मुख्य	कार्यालय उपयोग के मुख्य	सरकारी/टेलीकॉम सेक्टर/पोस्ट ऑफिस/विद्युत संचयन, नौपय द्वारा आवृत्ति भूमि पर कार्य हाउस	अर्द्धसरकारी/डिस्ट पेन्सरी/ सुपरबाजार/मुख्य /सब्सि एवं फल वितरण केन्द्र
0013	14	प्रथम	103500	202000	-	-	-	155000	-	-
0014	14A	प्रथम	103500	202000	-	-	-	155000	-	-
0015	15	द्वितीय	72000	330000	-	-	-	107500	-	-
0016	15A	द्वितीय	103500	330000	-	-	-	155000	-	-
0017	16	तृतीय	103500	330000	34000	-	-	155000	-	-
0018	16A,	तृतीय	103500	330000	-	-	65000	155000	50000	50000
0019	16B,	तृतीय	103500	330000	-	-	-	155000	-	-
0020	17	प्रथम	103500	202000	-	-	-	155000	-	-
0021	18	द्वितीय	103500	330000	-	-	-	155000	-	-
0022	19	तृतीय	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0023	20	प्रथम	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0024	21	द्वितीय	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0025	22	तृतीय	52500	202000	-	-	-	78500	-	-
0026	23	प्रथम	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0027	24	द्वितीय	72000	155000	-	-	65000	107500	50000	50000
0028	25	तृतीय	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0029	25A	तृतीय	72000	330000	-	-	-	107500	-	-
0030	26	प्रथम	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0031	27	द्वितीय	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0032	28	तृतीय	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0033	29	प्रथम	72000	202000	-	-	-	107500	-	-
0034	30	द्वितीय	103500	202000	-	-	-	155000	-	-

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

सोफ्टवेयर में आवंटित किया गया बी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	वार्ड का नाम, उप निबंधक, कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	भूखण्ड आवासीय प्रयोजन, 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर (बैसिक डेल्फ)	वाणिज्यिक प्रयोजन, 10000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड के लिए	औद्योगिक प्रयोजन 80000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड के लिए	ग्राम, हाउसिंग भूखण्ड हेतु निर्धारित दर	प्रतिक्रिया द्वारा संस्थागत प्रयोजन हेतु आवंटित भूखण्ड की दर संस्थागत क्षेत्रों के प्रयोजन के आधार पर			
							समस्त सेक्टरों के अन्तर्गत आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सर्विस विलम आदि के वीकियो/आईटी/पार्क/आर्टिस्टिक/बायोटेक पार्क हेतु भूखण्ड	कार्यालय उपयोग का भूखण्ड	शहरी/टेलीकॉम सेक्टर/पोस्ट ऑफिस/विद्युत सब स्टेशन, नौका द्वारा आवंटित कृषि भूमि पर फार्म हाउस	अर्द्धशहरी/किसान नारी/सुपरबाजार/दुग्ध/सब्जी एवं फल वितरण कोन्द
0145	137	प्रथम	52500	202000	-	84500	-	78500	-	-
0146	138	द्वितीय	40000	155000	12500	-	22000	60000	10000	20000
0147	139	तृतीय	40000	155000	-	-	-	60000	-	-
0148	140	प्रथम	40000	155000	12500	75000	22000	78500	10000	20000
0149	140A	प्रथम	40000	155000	12500	75000	22000	78500	10000	20000
0150	141	द्वितीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0151	142	तृतीय	52500	202000	-	75000	28000	78500	-	-
0152	143	प्रथम	52500	202000	-	84500	28000	78500	-	-
0153	143B	प्रथम	52500	202000	-	75000	-	78500	-	-
0154	144	द्वितीय	52500	202000	-	84500	28000	78500	-	-
0155	145	तृतीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0156	146	प्रथम	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0157	147	द्वितीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0158	148	तृतीय	40000	202000	-	58000	-	60000	-	-
0159	149	प्रथम	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0160	150	द्वितीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0161	151	तृतीय	52500	202000	-	75000	-	78500	-	-
0162	152	प्रथम	52500	202000	-	75000	28000	78500	-	-
0163	153	द्वितीय	52500	155000	-	75000	28000	78500	-	-
0164	154	तृतीय	52500	155000	-	75000	28000	78500	-	-

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

सॉफ्टवेयर में आवंटित किया गया सी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	वार्ड का नाम, उप निबंधक, कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	मुख्य अवासीय प्रयोजन, 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर (बेसिक पैलप)	वाणिज्यिक प्रयोजन, 10000 वर्ग मीटर से अधिक के मुख्य के लिए	औद्योगिक प्रयोजन 60000 वर्ग मीटर से अधिक के मुख्य के लिए	घुप हाउसिंग मुख्य हेतु निर्धारित दर	अधिकरण द्वारा संस्थागत प्रयोजन हेतु आवंटित मुख्य की दरें संस्थागत होती हैं प्रयोजन के अन्तर्गत			
							समस्त सेक्टरों के अन्तर्गत आवासीय/साफ्टवेयर/सर्विस क्लब आदिको सेक्टरों/आईटी/पार्क/आईटी/आईएस/बायोटेक पार्क हेतु मुख्य	कार्यालय उपयोग का मुख्य	सरकारी/टेलीकॉम सेक्टर/पोस्ट ऑफिस/विद्युत सब स्टेशन, मोटरों द्वारा आवंटित ग्रुप भूमि पर कार्य इनड	अर्द्धसरकारी/डिस्ट्रिक्ट सरी/सुपरबाजार/दुग्ध/सम्पत्ति एवं फल वितरण केन्द्र
0165	155	प्रथम	52500	155000	-	75000	-	78500	-	-
0166	156	द्वितीय	52500	155000	-	75000	-	78500	-	-
0167	157	तृतीय	52500	155000	-	75000	-	78500	-	-
0168	158	प्रथम	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0169	159	द्वितीय	40000	155000	-	58000	28000	60000	-	-
0170	160	तृतीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0171	161	प्रथम	40000	155000	-	58000	28000	60000	-	-
0172	162	द्वितीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0173	163	तृतीय	40000	202000	-	58000	28000	60000	-	-
0174	164	प्रथम	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0175	165	द्वितीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0176	166	तृतीय	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0177	167	प्रथम	40000	155000	-	58000	-	60000	-	-
0178	168	द्वितीय	52500	202000	-	84500	-	78500	-	-
0179	फेस-11 ब्लाक-ए सी	प्रथम	40000	155000	16500	-	22000	78500	10000	20000
0180	फेस-11 ब्लाक-सी, डी	द्वितीय	40000	155000	16500	-	22000	78500	10000	20000
0181	NEPZ	तृतीय	40000	155000	16500	-	22000	78500	10000	20000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

क(2)-नगरीय क्षेत्र

रजिस्ट्रिकरण कार्यालय नौएडा प्रथम, द्वितीय व तृतीय विभागाधीन नगरपालिका क्षेत्र (वर्गानुक्रम में) की अक्षक मंजूर की दर प्रति वर्गमीटर बसिक बेल्ल (न्यूनतम दर) रुपये में

नगरीय क्षेत्र का नाम-नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित राजस्व ग्राम की वह सम्पत्तियाँ जो प्राधिकरण से मुक्त हैं (की होल्ड)

1	2	3	4	5
साफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया बी-कोड	राजस्व ग्राम का नाम (वह सम्पत्ति जो प्राधिकरण के क्षेत्र सीमा से बाहर की होल्ड सम्पत्ति है)	वाढे का नाम, वय निबंधक कार्यालयों के अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के	नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम	अक्षक मंजूर की दर प्रति वर्गमीटर में (अक्षक प्रकृति की ऐसी मंजूर जिसकी 50 मीटर त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है / आवासीय गली है।
0182	अटल	द्वितीय क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र	30000
0183	असमपुर जंगीर	तृतीय	तदेव	9000
0184	अलावदीपुर	द्वितीय	तदेव	9000
0185	आगाहपुर	तृतीय	तदेव	20000
0186	इलाबास	तृतीय	तदेव	13000
0187	ककराला खासपुर	द्वितीय	तदेव	13000
0188	गढी चौखण्डी	तृतीय	तदेव	13000
0189	गोडा तिलपलाबाद	द्वितीय	तदेव	10000
0190	निडीह	प्रथम	तदेव	20000
0191	बक सालापुर	प्रथम	तदेव	9000
0192	बोहपुर	द्वितीय	तदेव	10000
0193	बौडा सादतपुर	प्रथम	तदेव	20000
0194	बौडा खुनखपुर	प्रथम	तदेव	20000
0195	छलेरा बंगार	तृतीय	तदेव	22000
0196	छलेरा खार	द्वितीय	तदेव	18000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)

गौतमबुद्धनगर।

अपर निरीक्षक (विभागाधीन एवं राजस्व)

गौतमबुद्धनगर।

गौतमबुद्धनगर।

निरीक्षक (अ)

साफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया वी-कोड	राजस्व ग्राम का नाम (वह सम्पत्ति जो प्राधिकरण के सैक्टर सीमा से बाहर फ्री होल्ड सम्पत्ति है)	वार्ड का नाम, उप निबंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर में (अकृषक प्रकृति की ऐसी भूमि जिसकी 50 मीटर त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है/आवासीय गली है)
0197	छजारसी (नोएडा की तरफ बन्ध एवं हिन्दन नदी के बीच)	प्रथम	तदैव	24000
	छजारसी(पुरानी आबादी नोएडा की तरफ)	प्रथम	तदैव	26000
	छजारसी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जो सर्किल रेट लिस्ट के सिगमेन्ट की अवस्थिति से भिन्न है।	प्रथम	तदैव	40000
0198	झुण्डपुरा	प्रथम	तदैव	20000
0199	नंगला चरणदास	तृतीय	तदैव	13000
0200	नयाबांस	द्वितीय	तदैव	22000
0201	निठारी-मोरना	प्रथम	तदैव	20000
0202	नौरंगाबाद खादर	द्वितीय	तदैव	8000
0203	परथला खंजरपुर	प्रथम	तदैव	13000
0204	बसईब्राउददीनपुर	द्वितीय	तदैव	9000
0205	बहलोलपुर	द्वितीय	तदैव	9000
0206	बरौला	द्वितीय	तदैव	22000
0207	भूडा	तृतीय	तदैव	9000
0208	भंगेल बेगमपुर	तृतीय	तदैव	22000
0209	मामूरा	प्रथम	तदैव	20000
0210	मुबारिकपुर	तृतीय	तदैव	9000

सहायक महाप्रिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

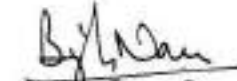
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

साफ्टवेयर में आवृत्ति किया गया बी-कोड	राजस्व ग्राम का नाम (वह सम्पत्ति जो प्राधिकरण के सेक्टर सीमा से बाहर की होल्ड सम्पत्ति है)	वार्ड का नाम, उप निर्बंधक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार प्रथम, द्वितीय व तृतीय के अनुसार	नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर में(अकृषक प्रकृति की ऐसी भूमि जिसकी 50 मीटर त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है/आवासीय गली है)
0211	मेहिउददीनपुर कनावनी (बन्ध एवं हिन्दन नदी के बीच) मेहिउददीनपुर कनावनी(पुरानी आबादी) मेहिउददीनपुर कनावनी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जो सर्किल रेट लिस्ट के सिगमेन्ट की अवस्थिति से भिन्न है।	ग्राम, जनपद गाजियाबाद में स्थान्तरित		
0212	याकूबपुर	तृतीय	तदैव	13000
0213	रसूलपुर नवादा	प्रथम	तदैव	20000
0214	रायपुर खादर	तृतीय	तदैव	10000
0215	सदरपुर	द्वितीय	तदैव	18000
0216	सरफाबाद	प्रथम	तदैव	15000
0217	सालारपुर खादर	तृतीय	तदैव	22000
0218	सुल्तानपुर	तृतीय	तदैव	13000
0219	सोरखा जाहिदाबाद	प्रथम	तदैव	13000
0220	हजरतपुर वाजिदपुर	द्वितीय	तदैव	13000
0221	हरौला मकखनपुर	द्वितीय	तदैव	22000
0222	हाजीपुर	तृतीय	तदैव	9000
0223	हैबतपुर	द्वितीय	तदैव	13000
0224	होशियारपुर	प्रथम	तदैव	18000


सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।


अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-3 ख

नगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले राजस्व ग्राम, ग्राहक राज की सेक्टर सीमा से निम्न, अधिकतम सीमा/एकल ग्राहक राज की सीमा की अनुमति दे दे प्रति वर्गमीटर में

क-नोट्स (गैलमिडनगर) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र पर मुख्य मार्गों पर अधिकतम सीमा तथा ग्राहक राज की अनुमति दे दे प्रति वर्गमीटर

क्र.सं.	रोड सेगमेंट का नाम कहां से कहां तक	मौलिक या राजस्व	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी कीड	अधिकतम सीमा (वर्ग मी.)	ग्राहक राज की सीमा (वर्ग मी.)	एकल व निम्न (अधिकतम राज-राज) ग्राहक राज की अनुमति दे दे प्रति वर्गमीटर	अन्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सेक्टर 18 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अटल	0182	1.75	2.62	225000	210000	195000								
2	विनायक अखिलेश्वर (अटल) ग्राम की सीमा (अन्तर्गत)	अटल	0182	1.50	2.25	195000	187500	180000								
3	सेक्टर 10 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
4	सेक्टर 80 के-11 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
5	वीनस पार्क वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
6	सेक्टर 10 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
7	सेक्टर 12 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
8	सेक्टर 12 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
9	सेक्टर 10 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
10	सेक्टर 10 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								
11	सेक्टर 44 के सीमाने वाली सड़क पर राज मौलिक व अधिकतम राज की सीमा (अन्तर्गत)	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत	अन्तर्गत								

राजस्व अधिकारी (प्रथम)

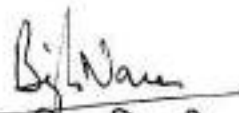
अपर विभागाध्यक्ष (विन व राजस्व)

राजस्व अधिकारी

क-नोएडा (गौतमबुद्धनगर) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र पर मुख्य मार्गों पर अकुषक भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर								
क्र०सं०	रोड सेगमेंट का नाम कहाँ से कहाँ तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी कोड	अकुषक भूमि की दर (प्रति वर्गमीटर लाख ₹० में)	एकल वाणिज्यिक सम्पत्ति हेतु भूमि की दर (प्रति वर्गमीटर लाख ₹० में)	एकल से निम्न (अर्थात् ताल-थार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कार्पेट एरिया प्रति वर्गमीटर रुपये में		
						दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	डी०एस०सी०रोड पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	भंगेल बेगमपुर	0208	1.00	1.69	150000	142500	135000
30	डी०एस०सी०मैन रोड से गेज्रा रोड पर नव जीवन हायर सेकेंड्री स्कूल तक दोनों तरफ की फी होल्ड भूमि सीमा के अन्तर्गत	भंगेल बेगमपुर	0208	0.80	1.50	135000	127500	120000
31	सेक्टर-63 के सामने आर०के०पब्लिक स्कूल की ओर सड़क पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	मानूरा	0209	0.80	1.50	135000	127500	120000
32	यूफलेक्स इंडिया लि० के सामने वाली सड़क पर होटल औरज वाई फेंसिंग रोड पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	मानूरा	0209	0.70	1.50	135000	127500	120000
33	एन०एच०-24 से डी०पी०एस० स्कूल होते हुए कनावनी पुलिया तक	मोहिउददीनपुर कनावनी	जनपद गौतमबुद्ध नगर में स्थान्तरित					
34	औद्योगिक एरिया से ग्राम के अन्दर जाने वाली मुख्य रोड पर दोनों ओर बाजार में गाँव की सीमा अन्तर्गत	याकूबपुर	0212	0.60	1.45	131000	121000	112000
35	बिजली घर के पीछे वाली गली का मैन बाजार पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	रसूलपुर नवादा	0213	0.60	1.45	131000	121000	112000
36	ग्राम का मैन रोड सोम बाजार (सोम बाजार रोड) की फेंसिंग ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	सदरपुर	0215	0.60	1.22	112500	105000	97500
37	सोम बाजार से छलेरा बांगर जाने वाले रास्ते पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	सदरपुर	0215	0.60	1.45	131000	121000	112000
38	डी०एस०सी०रोड पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	सलारपुर खादर	0217	1.00	1.69	150000	142500	135000
39	सेक्टर-4 के सामने वाले रोड पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	हरौला मक्खनपुर	0221	1.00	1.69	150000	142500	135000
40	गली न०-1 शर्मा मार्केट से अन्दर जाने वाली गली में	हरौला मक्खनपुर	0221	0.80	1.50	135000	127500	120000
41	फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने वाली रोड पर	हरौला मक्खनपुर	0221	0.80	1.50	135000	127500	120000
42	मैन रोड मेट्रो लाईन वाले रोड पर ग्राम की फी होल्ड भूमि की सीमा में	होशियारपुर	0224	0.80	1.69	150000	142500	135000


 सहायक महामिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।


 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

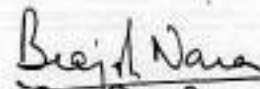
भाग-2
प्रारूप-4(1)

रजिस्ट्रीकरण कार्यालय प्रथम, द्वितीय व तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर के नगरीय क्षेत्र में प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की अकृषक भूमि(जिनका प्राधिकरण से भू-प्रयोजन सुनिश्चित है तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति एकल से भिन्न (तल-वार) न्यूनतम निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर रुपये में

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से भिन्न (अर्थात तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0001	1	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0002	2	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0003	3	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0004	4	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0005	5	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0006	6	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0007	7	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0008	8	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0009	9	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000


सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।


अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्राकृप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकत से निम्न (अर्थात तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0010	10	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0011	11	55150	57750	60400	401000	330000	211000	40000	39000	37000	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0012	12	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0013	14	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0014	14 A	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0015	15	75600	79200	82800	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0016	15 A	108700	113850	119050	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0017	16	108700	113850	119050	408000	382000	357000	40000	39000	37000	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0018	16 A	108700	113850	119050	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0019	16 B	108700	113850	119050	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0020	17	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0021	18	108700	113850	119050	567000	510000	459000	-	-	-	450000	352000	345000	252000	246750	241500
0022	19	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0023	20	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0024	21	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0025	22	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से भिन्न (अर्थात् तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii						
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
0026	23	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0027	24	75600	79200	82800	306000	250000	189000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0028	25	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0029	25A	75600	79200	82800	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0030	26	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0031	27	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0032	28	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0033	29	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0034	30	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0035	31	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0036	32	75600	79200	82800	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0037	33	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0038	34	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0039	35	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0040	36	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0041	37	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया सी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से धिन्न (अर्थात हल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन			दुकान	कार्यालय	गोदान व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदान व अन्य
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii						
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0042	38	108700	113850	119050	306000	250000	189000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0043	38 A	108700	113850	119050	567000	510000	459000	-	-	-	450000	352000	345000	252000	246750	241500
0044	39	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0045	40	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000
0046	41	75600	79200	82800	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0047	42	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0048	43	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0049	44	108700	113850	119050	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0050	45	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0051	46	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0052	47	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0053	48	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0054	49	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0055	50	108700	113850	119050	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0056	51	108700	113850	119050	408000	382000	357000	-	-	-	412000	322500	315000	231000	225750	220500
0057	52	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	393000	307500	300000	220500	215250	210000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया बी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से निम्न (अर्थात् तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन			दुकान			दुकान		
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 80000 वर्ग मी० तक						
0058	53	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0059	54	46200	48400	50600	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0060	55	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0061	56	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0062	57	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0063	58	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0064	59	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0065	60	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0066	61	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0067	62	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0068	63	46200	48400	50600	401000	330000	211000	20000	19000	17000	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0069	63 A	46200	48400	50600	306000	250000	189000	20000	19000	17000	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0070	64	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0071	65	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0072	66	42000	44000	46000	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0073	67	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

Beajal Nana
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया की-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अक्षयक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरे प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकस से मिन (अर्थात लल-दारे) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक						
0074	68	46200	48400	50600	365000	306000	200000	20000	19000	17000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0075	69	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0076	70	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0077	71	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0078	72	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0079	73	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0080	74	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0081	75	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0082	76	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0083	77	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0084	78	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0085	79	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0086	80	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0087	81	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0088	82	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0089	83	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकत से मिन (अर्थात तल-दान) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0090	84	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0091	85	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0092	86	46200	48400	50600	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0093	87	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0094	88	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0095	89	46200	48400	50600	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0096	90	46200	48400	50600	365000	306000	200000	15000	14500	13000	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0097	91	46200	48400	50600	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0098	92	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	356000	277500	270000	199500	194250	189000
0099	93	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0100	93 A	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0101	93 B	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0102	94	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0103	95	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0104	96	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0105	97	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000

सहायक महानिरीक्षक सिबंघन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया सी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका नू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से निम्न (अर्थात् तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0106	98	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0107	99	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0108	100	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0109	101	46200	48400	50600	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0110	102	42000	44000	46000	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0111	103	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0112	104	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0113	105	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0114	106	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0115	107	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0116	108	75600	79200	82800	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0117	109	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0118	110	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0119	111	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0120	112	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0121	113	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सेक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से निम्न (अर्थात् गल-वाच) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0122	114	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0123	115	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0124	116	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0125	117	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0126	118	46200	48400	50600	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0127	119	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0128	120	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0129	121	55150	57750	60400	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0130	122	75600	79200	82800	365000	306000	200000	-	-	-	318000	247500	240000	178500	173250	168000
0131	123	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0132	124	108700	113850	119050	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0133	125	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0134	126	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0135	127	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0136	128	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0137	129	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सैक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से निम्न (अर्थात् तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कार्पेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कार्पेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कार्पेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन			दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii						
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक 60000 वर्ग मी० तक						
0138	130	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0139	131	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0140	132	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0141	133	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0142	134	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0143	135	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0144	136	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0145	137	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0146	138	42000	44000	46000	306000	250000	189000	15000	14500	13000	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0147	139	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0148	140	42000	44000	46000	306000	250000	189000	15000	14500	13000	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0149	140 A	42000	44000	46000	306000	250000	189000	15000	14500	13000	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0150	141	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0151	142	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0152	143	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0153	143 B	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	सैक्टर का क्रमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकल से निम्न (अर्थात तल-वार) वाणिज्यिक कामकाज की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		मूखण्ड आवासीय प्रयोजन			मूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			मूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक						
0154	144	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	282500	285000	210000	204750	199500
0155	145	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0156	146	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0157	147	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0158	148	42000	44000	46000	401000	330000	211000	-	-	-	375000	282500	285000	210000	204750	199500
0159	149	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0160	150	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0161	151	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	282500	285000	210000	204750	199500
0162	152	55150	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	282500	285000	210000	204750	199500
0163	153	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0164	154	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0165	155	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0166	156	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0167	157	55150	57750	60400	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0168	158	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0169	159	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवृत्ति किया गया सी- कोड	सेक्टर का कमांक	समस्त श्रेणी की अकृषक भूमि जिनका भू प्रयोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित है की दरें प्रति वर्गमीटर रुपये में									एकत से निम्न (अर्थात् तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर में					
		A			B			C			प्राधिकरण से आवृत्ति वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर			प्राधिकरण से आवृत्ति वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित दुकान, कार्यालय व गोदाम की दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर निर्धारित दर		
		भूखण्ड आवासीय प्रयोजन			भूखण्ड वाणिज्यिक प्रयोजन			भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजन								
		i	ii	iii	i	ii	iii	i	ii	iii	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य	दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
		12 मी० से अधिक किन्तु 18 मी० तक चौड़ी सड़क पर	18 मी० से अधिक किन्तु 24 मी० तक चौड़ी सड़क पर	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क पर	100 वर्ग मी० तक	100 वर्ग मी० से अधिक 1000 वर्ग मी० तक	1000 वर्ग मी० से अधिक 10000 वर्ग मी० तक	4000 वर्ग मी० तक के भूखण्ड के लिए	4000 वर्ग मी० से अधिक 20000 वर्ग मी० तक	20000 वर्ग मी० से अधिक						
0170	160	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0171	161	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0172	162	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0173	163	42000	44000	46000	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0174	164	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0175	165	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0176	166	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0177	167	42000	44000	46000	306000	250000	189000	-	-	-	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0178	168	52500	57750	60400	401000	330000	211000	-	-	-	375000	292500	285000	210000	204750	199500
0179	फेस II ब्ला ए, डी,	42000	44000	46000	306000	250000	189000	20000	19000	17000	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0180	फेस II ब्ला सी, डी,	42000	44000	46000	306000	250000	189000	20000	19000	17000	281000	217500	210000	157500	152250	147000
0181	NEPZ	42000	44000	46000	306000	250000	189000	20000	19000	17000	281000	217500	210000	157500	152250	147000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

भाग-2

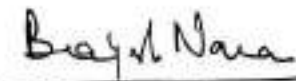
प्रारूप-4(11)

रजिस्ट्रीकरण कार्यालय नोएडा प्रथम, द्वितीय व तृतीय जिला गौतमबुद्धनगर के नगरीय क्षेत्र में विकसित ग्राम जिनके सेगमेंट चिह्नित किये गये हैं से भिन्न (प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न) अन्य सभी प्रकार की भूमि की दरें

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी कोड	राजस्व ग्राम का नाम	अनुपक प्रकृति की ऐसी भूमि की दरें जिनके आस पास वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजन सम्मिलित हैं (तथा सेगमेंट से भिन्न हैं) (प्रति वर्गमीटर रूपये में)	एकल वाणिज्यिक सम्पत्ति हेतु भूमि की दर (प्रति वर्गमीटर रूपये में)	एकल से भिन्न (अर्थात् चल-बार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर रूपये में	राजस्व ग्रामों में कृषि भूमि की दर प्रति (लाख रु०) हेक्टेयर में	
					यमुना नदी व हिन्दन नदी के पुश्ते से बाहर की भूमि	यमुना नदी व हिन्दन नदी दूब क्षेत्र नदी एवं बन्ध के बीच की भूमि
1	2	3	4	5	6	7
0182	अटटा	100000	216000	187500	X	X
0183	असगरपुर जांगीर	15000	104000	97500	180	120
0184	अलावदीपुर	10000	104000	97500	180	120
0185	आगाहपुर	80000	150000	135000	X	X
0186	इलाबांस	20000	104000	97500	180	120
0187	ककराला खासपुर	15000	104000	97500	180	120
0188	गढी चौखण्डी	27000	104000	97500	X	X
0189	गेझा तिलपताबाद	27000	104000	97500	X	X
0190	गिझौड	48000	104000	97500	X	X
0191	चक सालारपुर	10000	104000	97500	180	120
0192	चोटपुर	12000	104000	97500	180	120
0193	चौडा सादतपुर	80000	132000	120000	X	X


 सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
 गौतमबुद्धनगर।


 अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
 गौतमबुद्धनगर।


 जिलाधिकारी
 गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी कोड	राजस्व ग्राम का नाम	अक्षरक प्रकृति की ऐसी भूमि की दर जिनके आस पास वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजन सम्मिलित हैं (तथा संगमनेर के गिन्ने हैं) (प्रति वर्गमीटर रुपये में)	एकल वाणिज्यिक सम्पत्ति हेतु भूमि की दर (प्रति वर्गमीटर रुपये में)	एकल से गिन्न (अर्थात् तल-वार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर रुपये में	राजस्व ग्रामों में कृषि भूमि की दर प्रति (लाख रु०) हेक्टेयर में	
					यमुना नदी व हिन्दन नदी के पुश्ते से बाहर की भूमि	यमुना नदी व हिन्दन नदी दूब क्षेत्र नदी एवं बन्ध के बीच की भूमि
1	2	3	4	5	6	7
0194	चौडा रघुनाथपुर	80000	132000	120000	X	X
0195	छलेरा बांगर	70000	141000	127500	X	X
0196	छलेरा खादर	20000	141000	127500	180	120
0197	छजारसी	70000	150000	135000	X	X
0198	झुण्डपुरा	80000	132000	120000	X	X
0199	नंगला चरणदास	30000	104000	97500	X	X
0200	नयाबांस	70000	132000	120000	X	X
0201	निठारी-मोरना	70000	150000	135000	X	X
0202	नौरंगाबाद खादर	10000	104000	97500	180	120
0203	परथला खंजरपुर	15000	104000	97500	180	120
0204	बसईब्राउददीनपुर	15000	104000	97500	180	120
0205	बहलोलपुर	15000	104000	97500	180	120
0206	बरौला	70000	141000	127500	X	X
0207	भूडा	15000	104000	97500	180	120
0208	भंगेल बेगमपुर	70000	141000	127500	X	X
0209	मामूरा	70000	141000	127500	X	X
0210	मुबारिकपुर	15000	104000	97500	180	120

Shigga
सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

W
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

Braj Nara
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी कोड	राजस्व ग्राम का नाम	अग्रजक प्रकृति की ऐसी भूमि की दरें जिनके आस पास वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजन सम्मिलित हैं (एक सेगमेंट से निम्न हैं) (प्रति वर्गमीटर रुपये में)	एकल वाणिज्यिक सम्पत्ति हेतु भूमि की दर (प्रति वर्गमीटर रुपये में)	एकल से निम्न (अर्थात् तल-बार) वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित दर कारपेट एरिया प्रति वर्गमीटर रुपये में	राजस्व ग्रामों में कृषि भूमि की दर प्रति (लाख रु०) हेक्टेयर में	
					यमुना नदी व हिन्दन नदी के पुरते से बाहर की भूमि	यमुना नदी व हिन्दन नदी खूब क्षेत्र नदी एवं बन्द के बीच की भूमि
1	2	3	4	5	6	7
0211	मोहिउददीपुर कनावनी	ग्राम, जनपद गाजियाबाद में स्थान्तरित				
0212	याकुबपुर	30000	104000	97500	180	120
0213	रसूलपुर नवादा	30000	104000	97500	X	X
0214	रायपुर खादर	15000	104000	97500	180	120
0215	सदरपुर	30000	104000	97500	X	X
0216	सरफाबाद	16000	104000	97500	X	X
0217	सालारपुर खादर	80000	141000	127500	264	X
0218	सुल्तानपुर	20000	104000	97500	180	120
0219	सोरखा जाहिदाबाद	20000	104000	97500	264	264
0220	हजरतपुर वजिदपुर	30000	104000	97500	X	X
-	हरौला मक्खनपुर	70000	141000	127500	X	X
0222	हाजीपुर	20000	104000	97500	180	120
0223	हैबतपुर	20000	104000	97500	180	120
0224	होशियारपुर	50000	132000	120000	X	X

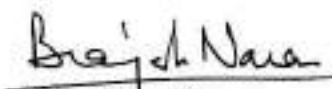
8

नोट-

1. कृषि भूमि की 200 मीटर त्रिज्या में आबादी होने पर निर्धारित कृषि दर से 50% अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2. बरौला, भंगेल बेगमपुर व गोझा तिलपताबाद में स्थित नाला (सिंचाई विभाग) के मध्य से 40 मीटर तक दोनों ओर की कृषि दर 264 लाख रु० प्रति हेक्टेयर निर्धारित की जाती है।


सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

निर्माण की दरे प्रति वर्गमीटर ऊपर से

क्रमांक	निर्माण की श्रेणी छल के आधार पर	निर्माण की अवधारणा	आयु	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दरे	वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दरे	वर्गमीटर
1	2	3	4	5			
1.	आरुक्षीय	80 वर्ष	15000	14000			
2	आरुक्षीय	60 वर्ष	14000	13000			
3	कड़ी, गलत पट्टिया, छल	50 वर्ष	10000	9500			
4	टीनशेड एम्बेस्स रोड और फाईबर रोड	40 वर्ष	7000	6000			
5	कच्चा छपर, खपरेल	30 वर्ष	6000	5500			

प्रथम श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह कि उसमें दखाले खिड़की में नहरणी लकड़ी यथा इलीडाम, सगौन, देवदार याद कमरेस्ट वाटरपूक बोई या मटल का प्रयोग हुआ हो। फर्श मारबल, स्लेन, विट्रोफाईल टाइल्स के प्रयोग से बनाया गया हो।

द्वितीय श्रेणी के निर्माण का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम श्रेणी का निर्माण न हो।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निम्नांकित तरीके के निकाला जा सकेगा-

भवन का कुल मूल्य = भवन में निर्मित भूमि (मय खुली भूमि के) का मूल्य इस सूची के भाग-2.3 या 4 में दी गयी सुसंगत दर के अनुसार + भवन का निर्माण मूल्य

भवन का निर्माण मूल्य = भवन का पुनर्स्थापन मूल्य में से मूल्य ह्रास घटाईये

भवन का पुनर्स्थापन मूल्य = भवन का कुल कवर्ड एरिया x इस सूची में दी गयी निर्माण की सुसंगत दर

मूल्य ह्रास = भवन का पुनर्स्थापन मूल्य x भवन की वर्तमान आयु x 9

भवन की अवधारणा आयु x 10

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)

गौतमबुद्धनगर।

अपर निवाहिकाधी (विल एवं सार्व)

गौतमबुद्धनगर।

गौतमबुद्धनगर।

निवाहिकाधी

नोट:- भवन की वास्तविक वर्तमान आय इस सँधी में दी गयी न्यूनतम अधिवर्धता आय से अधिक है तो वही आय अधिवर्धता आय भी मानी जायेगी। किसी भी दशा में दोसमूल्य 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भवन का स्केप मूल्य 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यदि भवन की आय केवल 20 वर्ष या उससे कम है तो ऐसे भवन पर कोई दोस मूल्य अनुमन्य नहीं होगा।

1. एकल वाणिज्यिक सम्पत्ति में निर्माण की उच्चतम दर 15 हजार रु० प्रति वर्गमीटर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2. डबल हाईट निर्माण की दर 30 प्रतिशत अधिक होगी (केवल औद्योगिक पक्का निर्माण हेतु)
3. भवन के लेखपत्र के साथ भवन के नक्शे का ब्लू प्रिंट/कम्प्यूटर/हाथ से बना नक्शा देना होगा।
4. व्यावसायिक/औद्योगिक भवनों के निर्माण मूल्य में कोई भी दोस मूल्य अनुमन्य नहीं होगा।
5. मशीनरी खान्द एवं कल पूर्ण के मूल्यांकन हेतु पंजीकृत वैल्यूवर का प्रमाण पत्र साक्ष्य में देय है।
6. सिंगल यूनिट/डबल फ्लैट का मूल्यांकन तत्समन्वयी सैक्टर के लिए निर्धारित मूल्य की दर एवं निर्माण की दर के आधार पर किया जायेगा।
7. दो मंजिला फ्लैटों का मूल्यांकन तत्समन्वयी सैक्टर के लिए मूल्य की दर का 50% एवं निर्माण की दर को जोड़ कर किया जायेगा।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (ग्राम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर निरीक्षक (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।

भाग-3

प्रारूप-5 (ख)

मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग में फ्लैट या अपार्टमेंट के सुपर एरिया की निर्माण दर तथा कॉमन सुविधाओं हेतु वृद्धि दर का प्रतिशत

मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग में फ्लैट या अपार्टमेंट के सुपर एरिया की निर्माण दर तथा कॉमन सुविधाओं हेतु वृद्धि दर का प्रतिशत

मल्टीस्टोरीज कामप्लेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का कमाक/ मोहल्ला का नाम जहाँ कामप्लेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्यूनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
समस्त सेक्टर की सीमा	1	0001	-	-	-	-	-	-
तदैव	2	0002	-	-	-	-	-	-
तदैव	3	0003	-	-	-	-	-	-
तदैव	4	0004	-	-	-	-	-	-
तदैव	5	0005	-	-	-	-	-	-
तदैव	6	0006	-	-	-	-	-	-
तदैव	7	0007	-	-	-	-	-	-
तदैव	8	0008	-	-	-	-	-	-
तदैव	9	0009	-	-	-	-	-	-
तदैव	10	0010	-	-	-	-	-	-
तदैव	11	0011	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का क्रमांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित बी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेंटर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	12	0012	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	14	0013	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	14A	0014	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	15	0015	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	15A	0016	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	16	0017	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	16A,	0018	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	16B,	0019	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	17	0020	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	18	0021	-	-	-	-	-	-
तदैव	19	0022	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	20	0023	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	21	0024	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	22	0025	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

Beajh Nann
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज कॉम्प्लेक्स का प्रचलित नाम	सैक्टर का कर्मांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ कॉम्प्लेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित बी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				क्वर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	23	0026	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	24	0027	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	25	0028	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	25A	0029	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	26	0030	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	27	0031	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	28	0032	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	29	0033	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	30	0034	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	31	0035	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	32	0036	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	33	0037	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	34	0038	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	35	0039	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का क्रमांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्प्यूनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	36	0040	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	37	0041	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	38	0042	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	38A	0043	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	39	0044	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	40	0045	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	41	0046	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	42	0047	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	43	0048	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	44	0049	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	45	0050	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	46	0051	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	47	0052	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	48	0053	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का कमांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	49	0054	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	50	0055	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	51	0056	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	52	0057	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	53	0058	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	54	0059	-	-	-	-	-	-
तदैव	55	0060	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	56	0061	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	57	0062	-	-	-	-	-	-
तदैव	58	0063	-	-	-	-	-	-
तदैव	59	0064	-	-	-	-	-	-
तदैव	60	0065	-	-	-	-	-	-
तदैव	61	0066	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	62	0067	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सैक्टर का क्रमांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित की-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर ₹0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेंटर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	63	0068	-	-	-	-	-	-
तदैव	63A	0069	35000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	64	0070	-	-	-	-	-	-
तदैव	65	0071	-	-	-	-	-	-
तदैव	66	0072	-	-	-	-	-	-
तदैव	67	0073	-	-	-	-	-	-
तदैव	68	0074	-	-	-	-	-	-
तदैव	69	0075	-	-	-	-	-	-
तदैव	70	0076	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	71	0077	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	72	0078	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	73	0079	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	74	0080	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	75	0081	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज कॉम्प्लेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का कमांक/ मोडल्ला का नाम जहाँ कॉम्प्लेक्स अवस्थित है।	मॉडल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	76	0082	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	77	0083	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	78	0084	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	79	0085	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	80	0086	-	-	-	-	-	-
तदैव	81	0087	-	-	-	-	-	-
तदैव	82	0088	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	83	0089	-	-	-	-	-	-
तदैव	84	0090	-	-	-	-	-	-
तदैव	85	0091	-	-	-	-	-	-
तदैव	86	0092	35000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	87	0093	-	-	-	-	-	-
तदैव	88	0094	-	-	-	-	-	-
तदैव	89	0095	-	-	-	-	-	-

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

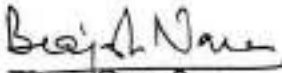
अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

Beajsh Nana
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज कामप्लेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का फार्म/ / मोहल्ला का नाम जहाँ कामप्लेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आशने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेंटर/ क्लब	स्वीनिंग पूल	जिम
				क्वर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	90	0096	-	-	-	-	-	-
तदैव	91	0097	-	-	-	-	-	-
तदैव	92	0098	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	93	0099	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	93A	0100	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	93B	0101	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	94	0102	-	-	-	-	-	-
तदैव	95	0103	-	-	-	-	-	-
तदैव	96	0104	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	97	0105	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	98	0106	55000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	99	0107	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	100	0108	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	101	0109	-	-	-	-	-	-


सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।


अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।


जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज कम्प्लेक्स का प्रचलित नाम	सैक्टर का क्रमांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ कम्प्लेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	102	0110	32000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	103	0111	-	-	-	-	-	-
तदैव	104	0112	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	105	0113	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	106	0114	-	-	-	-	-	-
तदैव	107	0115	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	108	0116	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	109	0117	-	-	-	-	-	-
तदैव	110	0118	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	111	0119	-	-	-	-	-	-
तदैव	112	0120	35000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	113	0121	35000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	114	0122	-	-	-	-	-	-
तदैव	115	0123	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का क्रमांक / मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्तित बी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	116	0124	35000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	117	0125	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	118	0126	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	119	0127	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	120	0128	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	121	0129	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	122	0130	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	123	0131	-	-	-	-	-	-
तदैव	124	0132	-	-	-	-	-	-
तदैव	125	0133	-	-	-	-	-	-
तदैव	126	0134	-	-	-	-	-	-
तदैव	127	0135	-	-	-	-	-	-
तदैव	128	0136	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	129	0137	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का कर्मिक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	130	0138	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	131	0139	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	132	0140	-	-	-	-	-	-
तदैव	133	0141	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	134	0142	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	135	0143	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	136	0144	-	-	-	-	-	-
तदैव	137	0145	50000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	138	0146	-	-	-	-	-	-
तदैव	139	0147	-	-	-	-	-	-
तदैव	140	0148	-	-	-	-	-	-
तदैव	140A	0149	-	-	-	-	-	-
तदैव	141	0150	-	-	-	-	-	-
तदैव	142	0151	-	-	-	-	-	-

7

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज कॉम्प्लेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का क्रमांक / मोहल्ला का नाम जहाँ कॉम्प्लेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति बी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु0 में0)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्यूनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	143	0152	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	143B	0153	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	144	0154	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	145	0155	-	-	-	-	-	-
तदैव	146	0156	-	-	-	-	-	-
तदैव	147	0157	-	-	-	-	-	-
तदैव	148	0158	-	-	-	-	-	-
तदैव	149	0159	-	-	-	-	-	-
तदैव	150	0160	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	151	0161	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	152	0162	-	-	-	-	-	-
तदैव	153	0163	-	-	-	-	-	-
तदैव	154	0164	-	-	-	-	-	-
तदैव	155	0165	-	-	-	-	-	-

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का कर्मांक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवंटित वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रू० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेन्टर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
तदैव	156	0166	-	-	-	-	-	-
तदैव	157	0167	-	-	-	-	-	-
तदैव	158	0168	32000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	159	0169	-	-	-	-	-	-
तदैव	160	0170	-	-	-	-	-	-
तदैव	161	0171	-	-	-	-	-	-
तदैव	162	0172	32000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
तदैव	163	0173	-	-	-	-	-	-
तदैव	164	0174	-	-	-	-	-	-
तदैव	165	0175	-	-	-	-	-	-
तदैव	166	0176	-	-	-	-	-	-
तदैव	167	0177	-	-	-	-	-	-
तदैव	168	0178	40000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

मल्टीस्टोरीज काम्पलेक्स का प्रचलित नाम	सेक्टर का कर्मक/ मोहल्ला का नाम जहाँ काम्पलेक्स अवस्थित है।	मोहल्ले का प्रारूप-1 के अधीन आवृत्ति वी-कोड	सुपर एरिया के निर्माण की दर (प्रति वर्गमीटर रु० में)	कॉमन सुविधाओं का न्यूनतम अतिरिक्त मूल्य आंकने के लिए वृद्धि दर का प्रतिशत				
				कार पार्किंग		कम्युनिटी सेंटर/ क्लब	स्वीमिंग पूल	जिम
				कवर्ड पार्किंग	ओपन पार्किंग			
1	2	3	4	5		6	7	8
छजारसी		0197	35000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%
मेहिउददीनपुर कनावनी		0211	जनपद गाजियाबाद में स्थानान्तरित					
समस्त सैक्टरों में ई0डब्ल्यूएस0 फ्लैट			28000	-	-	-	-	-
सैक्टरों में श्रमिक कुंज फ्लैट			25000	-	-	-	-	-
समस्त ग्राम की फीहोल्ड भूमि में निर्मित फ्लैट			30000	3 लाख	1.5 लाख	2%	2%	2%

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कृषि भूमि में फलदार या बिना फलदार वृक्ष होने के दशा में प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनकी मूल्य निम्नवत होगा—

क्र०	वृक्षों की श्रेणी	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का मूल्य	10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का मूल्य
		मूल्य प्रति वृक्ष रुपये में	मूल्य प्रति वृक्ष रुपये में
		फलदार वृक्ष	
1	आम का पेड़	8000	15000
2	जामुन, अमरुद, बेल व बर	6000	8000
3	अन्य फलदार वृक्ष	5000	7000
		बिना फलदार वृक्ष	
1	शीशम	5000	15000
2	सागौन	5000	18000
3	पापुलर, यूकेलिप्टस अन्य बिना फलदार वृक्ष	3000	5000

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर निरीक्षक (बिल एवं खास)
गौतमबुद्धनगर।

निरीक्षक
गौतमबुद्धनगर।

5. नौएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में समय-समय पर निर्धारित प्रतिशत (वर्तमान 10%) के अनुसार किसानों को आवंटित किए गये विकसित मूखण्डों की दर सम्बन्धित सैक्टर की आवासीय दर से 15% कम होगी। उक्त दर प्रत्येक अन्तर्ण पर प्रभावी मानी जायेगी।

6. (A) प्राधिकरण को सैक्टर में अवस्थित कॉलेज एवं अन्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान/गैर परम्परागत शिक्षण संस्थान/प्राइमरी स्कूल/उच्च माध्यमिक स्कूल/सीनियर सेकेंडरी स्कूल/नर्सरी स्कूल/नर्सरी स्कूल केब साहित/नर्सरी स्कूल/धार्मिक संस्थान तथा होस्टल के मूखण्ड की दरें संस्थानगत क्षेत्र में आर्टोटी0इं0एस0 के लिए निर्धारित सैक्टर दर के बराबर एवं आवासीय क्षेत्र में सैक्टर की आवासीय बेसिक दर का 50% होगा।

(B) नर्सिंग होम/अस्पताल/डाइग्नोस्टिक सेंटर/मैडीसिटी के मूखण्ड की दर आवासीय क्षेत्र में, सैक्टर की दर एवं संस्थानगत क्षेत्र में आर्टोटी0/आर्टोटी0इं0एस0 के लिए निर्धारित सैक्टर की दर के बराबर होगी।

(C) अनाथालय/विधवा आश्रम/विकलांगों हेतु आश्रम के मूखण्ड की दर संस्थानगत क्षेत्र में, आर्टोटी0/आर्टोटी0इं0एस0 के लिए निर्धारित सैक्टर दर के बराबर व आवासीय क्षेत्र में, सैक्टर की आवासीय बेसिक दर का 60% होगा।

7. कॉनर अथवा दो रास्ते पर स्थित आवासीय मूखण्ड/अकुषक मूखण्ड की दर 5% अतिरिक्त होगी।

8. पार्क के समूख स्थित आवासीय मूखण्ड/अकुषक मूखण्ड की दरें 5% अतिरिक्त होगी।

9. नौएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लॉट सिटी में वाणिज्यिक, ग्रुप हाउसिंग व अन्य प्रयोजन जिनके सफल रेट निर्धारित है, के अतिरिक्त ग्रीन बेल्ट व रिक्रेशनल ग्रीन हेतु आपन भूमि का मूल्यांकन 30000/- रुपये प्रति वर्गमीटर से किया जायेगा।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर निरीक्षिका (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

निरीक्षिका
गौतमबुद्धनगर।

10. नौएछा प्राधिकरण द्वारा सोशल एवं कल्चरल क्लब के प्रयोजन हेतु आवाटिल भूखण्ड का मूल्यांकन उस सौक्टर के लिए निर्धारित वैसिक आवासीय दर का 50 प्रतिशत से किया जायेगा।

11. मूल्यांकन दर सैदी एवं नौएछा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर (प्रिमियम + प्रथम 11 वर्ष का लीज रेंट का योग) में जो भी अधिक होगी, उसी मूल्यांकन पर स्लाम शुल्क देय होगा।

12. भाग 2 प्राकप-4(1) कॉलम 3 में निर्धारित रेट अक्षेपक प्रकृति की ऐसी भूमि की दरें जिनके आस-पास वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजन सम्मिलित है (तथा सेगमेंट से भिन्न है) का तात्पर्य सेगमेंट व आवासीय गली से भिन्न ऐसी अवस्थिति से है, जिसमें आवासीय के साथ-साथ बाजार सम्मिलित है।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर निरीक्षिका (वित्त एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

Brajesh Kumar
निरीक्षिका
गौतमबुद्धनगर।

वाणिज्यिक सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण हेतु निर्देश:-

मूल्य निर्धारण हेतु वाणिज्यिक/व्यवसायिक सम्पत्तियों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया जायेगा:-

1. एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान का तात्पर्य ऐसे व्यवसायिक भवन से होगा जहाँ मूल्य एवं उस पर अवस्थित सम्पूर्ण निर्माण का एक ही संयोजक से अन्तर्गत हो रहा है। जो कि सम्पूर्ण भवन एवम् सम्पूर्ण मूल्य के स्वतः अथवा लीज होल्डर/सॉर्टेस के साथ अन्तर्गत हो रही है यदि एक लेखक में केवल एक से अधिक है तथा सम्पत्ति में केवल भाग/तल का स्वतः प्रत्येक-प्रत्येक सन्निविष्ट है तब सम्पत्ति एकल से भिन्न मानकर मूल्यांकन किया जायेगा।

1. (A)- प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक मूल्यांकन में निर्मित एकल दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान की स्थिति में उस सैक्टर हेतु वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिये निर्धारित दर उच्चतम दर व निर्माण की उच्चतम दर 15 हजार रु० प्रति वर्गमीटर को (A)- प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक मूल्यांकन में निर्मित क्षेत्र के मूल्य के योग के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

1. (B)- नौएडा के क्षेत्राधिकार में स्थित नगरीय क्षेत्र के बाजार भागों में एकल दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठान होने पर उस भाग के लिए मूल्यांकन की अवस्थिति अनुसार एकल वाणिज्यिक सम्पत्ति हेतु निर्धारित मूल्य की दर व निर्माण की उच्चतम दर 15 हजार रु० प्रति वर्गमीटर को जोड़कर मूल्यांकन किया जायेगा।

1. (C)- प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक (आई०टी०/आई०टी०ई०एस०, संस्थान, कार्यालय व अन्य उपयोग) मूल्यांकन पर निर्माण होने के पश्चात् उनका मूल्य-प्रयोजन (जैसे दुकान, कार्यालय, गोदाम व अन्य) जो कि वाणिज्यिक अधिनियम की परिभाषा से आच्छादित होता है, में निर्मित एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान की स्थिति में सम्बन्धित सैक्टर के लिए कार्यालय उपयोग मूल्यांकन के लिए निर्धारित दर व निर्माण की उच्चतम दर 15 हजार रु० प्रति वर्गमीटर जोड़कर भवन के प्रत्येक मॉडल के निर्मित क्षेत्र के मूल्य के योग के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतम बुद्ध नगर।

अपर निरीक्षक (विस्त एवं राजस्व)
गौतम बुद्ध नगर।

बिनाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर।

2- एकल से भिन्न वाणिज्यिक भवनों में स्थित दुकानों एवं अन्य वाणिज्यिक अधिखानों से तात्पर्य ऐसी वाणिज्यिक सम्पत्ति से है, जहाँ भूमि पर अवस्थित सम्पूर्ण निर्माण के एक अंश/तल-वार का अनवरण भूमि एवं साक्षा क्षेत्र के अनुपातिक अंश, के साथ किया जा रहा हो।

2. (A)-एकल से भिन्न प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड में निर्मित, कार्यालय, कामपलेक्स एवं शॉपिंग मॉल के विभिन्न तलों पर स्थित अलग-अलग यूनिट/दुकान/कार्यालय गोदाम व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के भूस्वांकन हेतु सम्बन्धित सैक्टर के लिए निर्धारित दर से तल-वार दर भिन्न प्रतिशत में निर्धारित की जाती है।

2. (B)-नौएछा के क्षेत्राधिकार में स्थित नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्रामी में एकल से भिन्न दुकान एवं वाणिज्यिक अधिखान होने पर उस ग्राम के लिए भूखण्ड की अवस्थिति अनुसार निर्धारित दर से तल-वार दर भिन्न प्रतिशत में निर्धारित की जाती है।

2(A) व 2(B) के लिए तल-वार दर भिन्न प्रतिशत में निर्धारित की जाती है:-

1	मूल	निर्धारित दर का 85 प्रतिशत
2	प्रथम तल, अपर माउण्ड प्लॉट	निर्धारित दर का 75 प्रतिशत
3	द्वितीय तल, लोअर माउण्ड प्लॉट, मैजस्टीन व डेसमैंट	निर्धारित दर का 65 प्रतिशत
4	तृतीय तल के लिए	निर्धारित दर का 55 प्रतिशत
5	चतुर्थ तल के ऊपर सभी तलों के लिए	निर्धारित दर का 35 प्रतिशत

2. (C)- प्राधिकरण से आवंटित गैर वाणिज्यिक(आर्बोटी0/आर्बोटी0ई0एस, संरचनात, कार्यालय व अन्य उपयोग) भूखण्ड पर निर्माण होने के पश्चात उनका भू उपयोग (जैसे दुकान, कार्यालय, गोदाम एवं अन्य) जो कि वाणिज्यिक अधिनियम की परिभाषा से आच्छादित होते हैं, में निर्मित एकल से भिन्न दुकान एवं वाणिज्यिक अधिखान की स्थिति में अनवरण होने पर प्राकप-4(1) में निर्धारित दर से तल-वार दर भिन्न प्रतिशत में निर्धारित की जाती है।

सहायक महानिरीक्षक (प्रथम)
गौतम बुद्ध नगर।

अपर जिलाधिकारी (तल एवं राजस्व)
गौतम बुद्ध नगर।

जिलाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर।

2(C) के लिए तल-वार दर निम्न प्रतिशत में निर्धारित की जाती है:-

1	मूल	प्रतिशत दर का 80 प्रतिशत
2	लाभ, ग्राहक, अपर ग्राहक, भुगतान, बेसमेन्ट व प्रथम तल	प्रतिशत दर का 50 प्रतिशत
3	द्वितीय तल	प्रतिशत दर का 45 प्रतिशत
4	तृतीय तल	प्रतिशत दर का 40 प्रतिशत
5	चौथी तल के ऊपर के सभी तलों के लिए	प्रतिशत दर का 30 प्रतिशत

3. एकल से निम्न वाणिज्यिक सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2015 के नियम 5(द) के अनुसार कारपेट एरिया पर किया जायेगा। कारपेट एरिया की गणना सुपर एरिया से किसी भी दशा में 25 प्रतिशत से अधिक, कम नहीं होगी।

4. गृह हाऊसिंग/आवासीय सोसाइटी के परिसर में स्थित दुकान, कार्यालय, गोदाम (वाणिज्यिक सम्पत्ति) होने पर सम्पत्ति पर एकल से निम्न के लिए निर्धारित दर की आधी दर से मूल्यांकन किया जायेगा। परिसर के बाहर से प्रवेश करने पर उस सीक्टर के लिए निर्धारित दर में कोई छूट अनुमति नहीं होगी। शेष शर्तें यथावत होंगी।

5. बेसमेन्ट में अवस्थित सम्पत्ति के अन्तर्गत U शेष बाजार (बन्द गली के बाजार) व कॉम्प्लेक्स को एकल यूनिट मानते हुए सभी सम्पत्तियों पर बेसमेन्ट की दर ही प्रभावी होगी। बहुमंजिला होने की स्थिति में तल अनुसार छूट अनुमति होगी।

6. सैन्टी एयरकन्डीशनिंग व एस्कलेटर युक्त शॉपिंग मॉल में स्थित वाणिज्यिक/व्यवसायिक इकाई/दुकान/प्रतिष्ठान/कार्यालय का मूल्य उपर्युक्त निर्देशानुसार निर्धारित मूल्य से 25 प्रतिशत अधिक होगा। दोनों में से कम-वार छूट देय होगी।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गोविन्दगढ़ नगर।

अपर निगम निरीक्षक (तल एवं ग्राहक)
गोविन्दगढ़ नगर।

बि. ए. ए. ए.
निगम निरीक्षक
गोविन्दगढ़ नगर।

7. A सिनेमा हॉल व पेट्रोल पम्प के लिये मूखण्ड की दर उस सैक्टर के लिये निर्धारित वॉल्यूमेट्रिक मूखण्ड की दर का 40 प्रतिशत व निर्माण दर को जोड़कर किया जायेगा।

B सिरज होम व कोलर स्टोरेज तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर दर निर्धारित किया गया है:-

- (I) 1000 वर्ग मीटर तक के मूखण्ड पर सम्बन्धित सैक्टर के मूखण्ड की निर्धारित दर का 50 प्रतिशत तथा आच्छादित क्षेत्रफल का मूल्यांकन निर्माण की दर को जोड़कर किया जायेगा।
- (II) 1001 से 2000 वर्गमीटर के मूखण्ड पर सम्बन्धित सैक्टर के मूखण्ड के लिए निर्धारित दर का 45 प्रतिशत होगा तथा आच्छादित क्षेत्रफल का मूल्यांकन निर्माण की दर को जोड़कर किया जायेगा।
- (III) 2000 वर्गमीटर से अधिक मूखण्ड के लिए सम्बन्धित सैक्टर के मूखण्ड की निर्धारित दर का 40 प्रतिशत होगा तथा आच्छादित क्षेत्रफल का मूल्यांकन निर्माण की दर को जोड़कर किया जायेगा।

8. सम्पत्ति का निर्माण मिश्रित प्रयोजन का होने पर सम्पत्ति के जिस भाग में जो प्रयोजन होगा उसी दर से उसका मूल्यांकन किया जायेगा।

9. वॉल्यूमेट्रिक परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत वेयर हाउसिंग एवं बॉस बल्सी मार्केट के मूखण्ड हेतु सम्बन्धित सैक्टर की वॉल्यूमेट्रिक सैक्टरल रेट का 50 प्रतिशत व निर्मित क्षेत्रफल निर्माण की दर को जोड़कर किया जायेगा।

सहायक महा निरीक्षक (प्रथम)
गौतम बुद्ध नगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतम बुद्ध नगर।

जिलाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर।

महोदय की निम्नलिखित बातों में फल या अपाटमेंट के सुपर एरिया की निर्माण दर तथा कॉमन सुविधाओं

द्वितीय दर का प्रतिशत।

1. फल का मूल्य निर्धारण केवल उनके सुपर एरिया के आधार पर किया जाएगा। निम्न निर्मित समलियाँ का आवंटन प्राधिकरण/की-ओपरेटिव सोसायटी द्वारा कवर्ड/लिन्थ एरिया के आधार पर किया गया है, उनकी मूल्यांकन कवर्ड एरिया/लिन्थ एरिया में न्यूनतम 20 प्रतिशत एरिया (कॉमन एरिया) अतिरिक्त जोड़कर सुपर एरिया मानते हों वस पर मूल्यांकन किया जाएगा।

2. सुपर एरिया = कवर्ड एरिया + कॉमन एरिया।

3. प्रत्येक सुविधा के लिए बौद्धिक दर से 2 प्रतिशत दर से मूल्यांकन किया जाएगा।

4. बहुमंजिला इमारतों में स्थित फल में पूर्वीय तल तक तल-वार कोई छूट अनुमति नहीं होगी। पूर्वीय तल से ऊपर प्रत्येक तल पर 2 प्रतिशत व अधिकतम 20 प्रतिशत की छूट अनुमति होगी। बहुमंजिले सोसायटी के फल में टॉप फ्लोर की छत के उपयोग का अधिकार होने पर कोई तल-वार छूट अनुमति नहीं होगी।

5. यद्यपि निम्न सीकरों में बहुमंजिले आवासीय फल/अपाटमेंट है उनकी दर सम्बन्धित कॉलम में निर्धारित कर दी गई है, अन्य किसी सीकर में बहुमंजिले आवासीय फल/अपाटमेंट होने पर उनके लिए निर्धारित न्यूनतम दर 32000/- रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित रहेगी।

6. बहुमंजिला फल में डेरेस एरिया की दर उस सीकर के आवासीय बौद्धिक दर का 50 प्रतिशत की दर से मूल्यांकन किया जाएगा तल-वार कोई छूट अनुमति नहीं होगी। मूल के फल के साथ खुली भूमि का मूल्यांकन उस सीकर के लिए निर्धारित रूप द्वारा किया जाएगा।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
गौतमबुद्धनगर।

अपर निरीक्षक (तल एवं राजस्व)
गौतमबुद्धनगर।

गौतमबुद्धनगर।

निरीक्षक (आ)

B. N. N.

7. बहुमजाला फ्लैटों में फ्लैट के साथ ही छत का उपयोग का अधिकार दिये जाने पर तल-बार कोई छूट अनुमान नहीं होगी।
8. सर्विस अपार्टमेंट/स्टूडियो अपार्टमेंट के अन्तर्गत की दशा में उन पर सम्बन्धित सेक्टर के बहुमजाला फ्लैट की दर से 25 प्रतिशत अधिक दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।
9. प्राकृ 4(1) के अन्तर्गत प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड का तात्पर्य प्राधिकरण से आवंटित वाणिज्यिक भूखण्ड के साथ-साथ ग्रुप हाऊसिंग के वाणिज्यिक भाग में अवस्थित वाणिज्यिक सम्पत्ति के अंश से है।

सहायक महा निरीक्षक (प्रथम)
राज्य महानगरपालिका
गौतम बुद्ध नगर

अपर निरीक्षक (द्वितीय एवं तृतीय)
राज्य महानगरपालिका
गौतम बुद्ध नगर

बसिमा
निरीक्षक
राज्य महानगरपालिका

1. प्रत्येक ऐसे विवेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्थाप्य प्रमादता की गणना की जाती है, में न्यूनतम की गणना इस संपत्ति के किस भाग के किस पृष्ठ के किस कमांक व कॉलम के अनुसार की गयी है का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्थाप्य प्रमादता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।

2. विवेख में अंकित सम्पत्ति की चौहदवी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा तथा अन्य सीमाओं में सम्पत्ति की प्रकृति व स्वामी का नाम लिखा जायेगा।

3. कृषि भूमि के अन्तर्गत विवेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी के सुसंगत अंश की तहसीलदार द्वारा सम्पत्ति प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. विवेख में अंकित सम्पत्ति, जिसका विकास किसी सड़क पर हो के न्यूनतम मूल्य की गणना उस सड़क पर स्थित सम्पत्ति की सुसंगत दर के अनुसार ही की जायेगी।

5. प्रत्येक ऐसे विवेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्थाप्य सूचक प्रमाद होता है के साथ उस सम्पत्ति पर पहुँचने का मार्गदर्शक मानचित्र, (नजदी नक्शा) तथा सम्पत्ति पर निर्माण पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र, विवेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली मोहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को छापट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि प्रसंगत सम्पत्ति का पूर्व में कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।

सहायक महानिरीक्षक निवेदन (प्रथम)
गौतमगुहजनगर।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
गौतमगुहजनगर।

जिलाधिकारी
गौतमगुहजनगर।

6. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अधिरिक्त स्तम्भ प्रभाव है उसके सम्बन्ध में विवेक में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अधिरिक्त स्तम्भ शुरू प्रभाव होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है। नोट: उप निर्देशक कार्यालय के क्षेत्राधिकार में मात्र एक ग्राम छजरासी में दो प्रतिशत अधिरिक्त विकास शुरू देय है।

7. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्री दर 22 रु0 प्रति घनमीटरके अनुसार दये होगी।

8. कृषि भूमि में अवस्थित प्रति बोरवेल, कुआँ या नल (डिप्टम) आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा। बोरवेल/सबमर्सिबल का मूल्य 40 हजार रुपये प्रति बोरवेल होगा तथा कुआँ का मूल्य प्रति कुआँ 30 हजार रुपये तथा नल (डिप्टम) का मूल्य प्रति नल (डिप्टम) 10 हजार रुपये होगा।

9. स्तम्भ देयता हेतु अन्तर्गत सम्पत्ति का मूल्य, वास्तविक प्रतिकूल एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से आगमित मूल्य में, जो भी अधिक होगा उस पर पर स्तम्भ शुरू देय होगी।

10. प्रत्येक प्रकार की सम्पत्तियों की केवल छत का विषय किये जाने पर सम्बन्धित सम्पत्ति के मू-प्रयोजन हेतु निर्धारित शैक्षिक मंडल की सर्किल दर के 50 प्रतिशत की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।

11. फ्लैट से भिन्न अन्य प्रकार की सम्पत्ति में तल-बार अंतरण के साथ पार्किंग का उपयोग होने पर पार्किंग की दर का मूल्यांकन फ्लैट पार्किंग दर के अनुसार किया जायेगा।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन (प्रथम)
राजमंडल, नगर।

अपर निरीक्षक (वित्त एवं राजस्व)
राजमंडल, नगर।

निरीक्षक (वित्त)
राजमंडल, नगर।